

जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला निबंधन कार्यालय, हाजीपुर सहित अवर निबंधन कार्यालय, महुआ/महनार एवं लालगंज में निम्नांकित सूची के अनुसार निबंधित दरतावेज परिदान हेतु लम्बित है। वैसे व्यक्ति जिन्होंने अपना मूल दरतावेज निबंधन करवाने के उपरान्त प्राप्त नहीं किये हैं, वे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 01 (एक) माह के अन्दर संबंधित निबंधन कार्यालय से अपना मूल दरतावेज विलम्ब शुल्क की अदायगी कर प्राप्त कर लें अन्यथा निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 85 के अधीन निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना से अनुमति के उपरान्त वेदावी दरतावेजों को पूर्णतः विनष्ट कर दिया जायेगा।

क्र. म. सं.	कार्यालय का नाम	दस्तावेज उपस्थापन/ निबंधन का वर्ष	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		विनष्टीकरण का वर्ष	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	हाजीपुर		0	0	0	0	31	36	39	38
2	महुआ		0	0	0	0	44	19	53	56
3	महनार		318	388	246	821	416	9	5	15
4	लालगंज		26	18	23	21	32	15	15	32

जिला अवर निबंधक,
वैशाली (हाजीपुर)

अवर समाहर्ता,
वैशाली (हाजीपुर)

समाहर्ता-सह जिला निबंधक,
वैशाली (हाजीपुर)

पी.आर.नं. 14349 (निबंधन) 15-16

घष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर करें.